फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :–**फारूख अहमद**
विपक्षी :–**राज्य**

किस्म मुकदमा :– 136 एलआरएक्ट
पत्रावली संख्या :–**69/25 वाद**
जीसीएमएस नम्बर :–**2025/260**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 23.02.2026 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजपैरोकार उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड में अपना स्वयं का नाम फकीरअहमद नाम गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार मावली द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से उसे संशोधन किया जाने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड की प्रति, आयकर विभाग के पैन कार्ड की फोटोप्रति, प्रार्थी द्वारा 50 रूपये के स्टाम्प पर स्वयं का शपथ पत्र, सहखातेदार अपने भाई उस्मान गनी का शपथ पत्र, सहखातेदार मोहम्मद इलियास का शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र अनुसार नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार प्रार्थी का नाम फारूख अहमद होना जाहीर होता है। तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार भी फारूख अहम्मद पिता गुलाम रसूल एवं फकीर अहमद पिता गुलाम रसूल को एक ही व्यक्ति होना बताया हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि ग्रामीण परिवेश में आपस में बोलचाल में अलग नाम से पुकारते है जबकि वास्तविक नाम अलग होता है। पटवारी हल्का द्वारा विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करते समय ग्रामीणों से मृतक के वारिसान के संबंध में पुछताछ/जानकारी करता है तो ग्रामीणजन उनको जिस नाम से पुकारते है वही नाम बता देते है। जिससे उनका नामान्तरकरण वास्तविक नाम से पारित नही होकर ग्रामीण क्षेत्र के बोलचाल के नाम से हो जाता है। इस प्रकरण में भी प्रार्थी को ग्रामीण परिवेश में लोग फकीर अहमद के नाम से पुकारते थे, जिससे राजस्व रिकॉर्ड में फकीर अहमद अंकित हो गया, जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम फारूख अहमद है। अतः राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत अंकित होने से सही किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:53:36 IST
Reason: SelfAttested

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा मावली पटवार हल्का मावली तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 625 पर दर्ज आराजी नम्बर 3352 रकबा 1.0441 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम फकीर अहमद पिता गुलामरसूल के बजाय फारूख अहमद उर्फ फकीर अहमद पिता गुलामरसूल संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:53:36 IST
Reason: SelfAttested